राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 484/2005/जयपुर
अपील संख्या – 485/2005/जयपुर
अपील संख्या – 486/2005/जयपुर
अपील संख्या – 487/2005/जयपुर

मैसर्स महावीर कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज,
जी–680, रोड़ नं. 9, एफ–2, वी.के.आई.एरिया,
जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–तृतीय, वृत्त–ई, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :
श्री रमेश गुप्ता,
अधिकृत अभिभाषक
श्री एन.के.बेद,
उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 17/10/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा ये चारों अपीलें अतिरिक्त आयुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, राज. जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 08.10.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–तृतीय, वृत्त–ई, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 9 व राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 29 के तहत आरोपित मांग को यथावत रखा गया हैं। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा यह अपीलें पेश की गई है।

2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी लूब्रिकेन्टिंग ऑयल व ग्रिस का निर्माता है कर निर्धारण अधिकारी ने अपने पृथक–पृथक आदेशों द्वारा अपीलार्थी व्यवसायी के नीचे लिखी सारणीनुसार आलौच्य अवधी का कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए कर व ब्याज की मांग अपीलार्थी के विरूद्ध कायम की गई है। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त पृथक–पृथक आदेशों के विरूद्ध, अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने पृथक–पृथक आदेश दिनांक 08.10.2004 द्वारा आरोपित कर व ब्याज को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी के पृथक–पृथक आदेश दिनांक 08.10.2004 के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा यह अपीलें पेश की गई है। जिन्हें अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा नीचे लिखी सारणी अनुसार इन अपीलों में विवादित किया गया है:–

लगातार.....2

अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी के आदेश व दिनांक	कर निर्धारण आदेश दिनांक	कर निर्धारण वर्ष	कर	ब्याज
484/2005	102/आरएसटी/ 08.10.2004	07.12.2001	1999–2000	2,39,265	1,33,989
485/2005	103/सीएसटी/ 08.10.2004	07.12.2001	1999–2000	18,400	10,304
486/2005	101/आरएसटी/ 08.10.2004	10.01.2003	2000–2001	2,01,484	1,16,204
487/2005	100/सीएसटी/ 08.10.2004	10.01.2003	2000–2001	18,400	13,742

3 अपीलार्थी व्यवसायी के अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी व्यवसायी प्रोत्साहन योजना, 1987 के अन्तर्गत लाभ प्राप्त ईकाई है कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रोत्साहन योजना, 1987 के अन्तर्गत की गई बिक्री पर आरोपित कर एवं ब्याज का आरोपण अविधिक है। उनका अग्रिम तर्क था कि अपीलार्थी के विरूद्ध करापवंचन का अभियोग होने के कारण आयुक्त द्वारा प्रोत्साहन प्रमाण पत्र को भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त कर दिया है एवं अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट दायर की हुई है एवं माननीय उच्च न्यायलय द्वारा अपीलार्थी को आयुक्त के आदेश विरूद्ध स्थगन प्रदान किया हुआ है।

4. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है उन्होने अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत बताते हुए; अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत ये अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध आलौच्य अवधियों में जो करारोपण किया है वह प्रोत्साहन प्रमाण पत्र के निरस्त होने के फलस्वरूप किया गया है। अपीलार्थी द्वारा कोई भी विवाद कर निर्धारण आदेशों में किसी भी प्रकार के अविधिक करारोपण के विरूद्ध नहीं है। अपीलार्थी के आलौच्य अवधियों में प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने कर व ब्याज आरोपित किये है जो विधिसम्मत है। अपीलीय अधिकारी ने भी आलौच्य अवधियों में अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपित कर व ब्याज को यथावत रखने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की।

6. फलतः अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश 08.10.2004 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष